

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 254 / 2025 दिनांक 24 .01.2025

श्रीमती रंजना-II (RJ00912), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सीकर को दिनांक 27.01.2025 से 31.01.2025 तक 05 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 25.01.2025 से 26.01.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती रंजना की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सीकर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/83/2015/836

दिनांक 24 .01.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर को उनके पत्रांक 246 दिनांक 08.01.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती रंजना-II (RJ00912), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सीकर।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सीकर।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर।


24/01/25
सहायक रजिस्ट्रार